

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(10)नविवि/रेरा/2021

जयपुर, दिनांक :- 24 JUN 2021

आदेश

राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA) में निम्न पदों को भरने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(1)वित्त-1(1)आ.व्यय./2012 दिनांक 18.10.2019 के बिन्दु संख्या 2 पर नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए पदों को भरने की तिथि से दिनांक 28.02.2022 तक अस्थाई रूप से सृजित करने एवं भरने की सहमति रेप्सर एक्ट के तहत एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

S. No.	Post	Posts agreed	Pay-Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chairman	1	रेरा एक्ट एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाला वेतन एवं अन्य भत्ते।
2.	Member	2	रेरा एक्ट एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाला वेतन एवं अन्य भत्ते।
3.	Deputy Registrar (Technical)	1	L-16
4.	Junior Draftsman/CAD Operator	1	L-05
5.	Deputy Registrar (Complaint/Court)	1	L-16
6.	Law Officer	1	L-12
7.	Assistant Accounts Officer-II	2	L-11
8.	Junior Assistant (Cashier/Storekeeper/Bill Clerk)	1	L-05
9.	Information Assistant/Technical Assistant/Network Assistant	2	L-09
10.	Enforcement Officer	1	L-12
11.	Prosecutor	1	L-12
12.	Driver	1	L-05
13.	Stenographer	3	L-11
14.	Junior Assistant	2	L-05
	Total	19	

उक्त सहमति निम्न शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की जाती है जिनकी पालना राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA) के स्तर से सुनिश्चित की जावेगी:-

1. उक्त समस्त पद पूर्णतः अस्थाई रहेंगे एवं केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा ही पदों को भरा जा सकेगा। रेरा का स्वयं का कोई स्थाई कैडर नहीं होगा।

2. पदों पर भर्ती सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर, प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।
3. पदों के सृजन/भरने से होने वाला व्यय रेरा. के स्वयं के कोष से किया जावेगा। इस हेतु राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान/सहायता प्रदान नहीं की जावेगी। उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित कार्मिकों की संख्या को कम कर लिया जावे।
4. वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101703646 दिनांक 28.07.2017 एवं इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में विभागीय आदेश के द्वारा कोई परामर्श दिया गया हो तो इसके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.संख्या 102000163 दिनांक 31.03.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— १५ —

(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी संख्या 102000163 दिनांक 31.03.2021 के क्रम में।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

२/१५/२३
23.6.2021

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय